

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश सं० 115/12 दिनांक 27.06.12 द्वारा एमएसीपी के तहत निम्नलिखित कर्मचारी को द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया था। लेकिन एनआईपी दिनांक 23.01.2016 के द्वारा तीन वर्ष के लिए संचयी प्रभाव से पदावनत किये जाने के कारण एवं पुन कैंट/ इलाहाबाद के वाद सं० 776/2010 के विरुद्ध पारित आदेश के अनुपालन में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड को Quash & setaside किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी का विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण निम्नवत् किया जाता है।

नाम	पदनाम/ कार्यस्थल	एमएसीपी के तहत पूर्व वेतन निर्धारण	विकल्प पर वेतन निर्धारण
श्री मु. मुस्तफा अन्सारी	सस्टेमा/ तरांव	13360+4600=17960 23.01.2009	14440+4200=18640 01.07.2008
			14440+4600=19040 23.01.2009
			15580+4600=20180 01.07.2009
			16190+4600=20790 01.07.2010
			WIT 03 दि० 28.03.11 (01.07.11 से 30.09.11)
			16820+4600=21420 01.10.2011
			17470+4600=22070 01.07.2012
			18140+4600=22740 01.07.2013
			18830+4600=23430 01.07.2014
			19540+4600=24140 01.07.2015

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (का.)

वाराणसी

दिनांक : 30.12.2016

सं० का/परि/पीसी/मु.मुस्तफा अन्सारी/सस्टेमा  
प्रतिलिपि:-

1. वमविप्र/वारा.
2. वमचाप्र/वारा.
3. कार्यालय आदेश पुस्तिका
4. मुकार्याधी/परि. बिल
5. सम्बन्धित कर्मचारी

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (का.)

वाराणसी